न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 29 / 2021 अपील (GCMS 2021/31)
पंजीयन दिनांक– 16 / 02 / 2021
निर्णय दिनांक– 27 / 05 / 2021

1. श्री भंवरसिंह पिता शेरसिंह खरवड़, निवासी काछबा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती नाति पत्नि भंवरसिंह खरवड़, निवासी काछबा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
3. श्री लक्ष्मणसिंह पिता नवलसिंह खरवड़, निवासी काछबा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री मनीष शर्मा — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक — अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 10 / 2019
(प्रार्थना पत्र आंवटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 29.01.2021

निर्णय

दिनांक 27 / 05 / 2024

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 10 / 2019 (प्रार्थना पत्र आंवटन निरस्ती) निर्णय

दिनांक 29.01.2021 के विरूद्ध दिनांक 08.02.2021 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट तहसीलदार गोगुंदा, जिला उदयपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत कर निवेदन कि मौजा काछबा, पटवार मण्डल काछबा, तहसील गोगुंदा की आराजी संख्या 1868 रकबा 0.0200 हेक्टेयर भूमि भंवरसिंह पिता शेरसिंह, नाती पत्नी भंवरसिंह, लक्ष्मण सिंह पिता नवलसिंह खरवड़ सा. देह गैर खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। अपीलांट्स/रेस्पोडेंट्स भंवरसिंह व अन्य को यह आवंटन दिनांक 15.12.2004 को गैर खातेदारी हक से किया गया एवं आवंटित भूमि पर अपीलांट्स/रेस्पोडेंट्स भंवरसिंह व अन्य द्वारा कभी काश्त नही की गई, जो आवंटन शर्तो का उल्लंघन है। मौके पर उक्त आराजी पर पक्का पशुघर बना हुआ है एवं टीनशेड लगे होकर पशु बंधे हुए है। इस प्रकार आवंटन शर्तो की पालना न करने से विपक्षीगण के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन खारिज किया जाकर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 10/2019 (प्रार्थना पत्र आंवटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 29.01.2021 से रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.01.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:—*"अतः प्रार्थी तहसीलदार, गोगुंदा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षीगण के पक्ष मे मौजा काछबा, तहसील गोगुंदा की आराजी संख्या 1868 रकबा 0.0200 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 15.12.2004 को आवंटन शर्तो की पालना*

एवं कब्जा काश्त के अभाव में खारिज किया जाता है तथा भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।"

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवा, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 20.05.2024 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट तहसीलदार, गोगुंदा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, नियमानुसार भूमि का आवंटन होना, आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होना, आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना, आवंटन मे कोई मिसरिप्रजन्टेशन न होना, खातेदार काश्तकार होना अवगत कराया एवं अनुरोध किया कि आवंटन उपरान्त अपीलांट्स द्वारा भारी लागत लगाकर भूमि को कृषि एवं पशुपालन योग्य बनाया है। आवंटन के इतने लंबे समय पश्चात तहसीलदार, गोगुन्दा द्वारा जानबूझकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.01.2021 को निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट 1 राजकीय अभिभाष श्री मुरलीधर पालीवान ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 29.01.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील गुणावगुण पर निर्णय किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.01.2021 की अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 08.02.2021 को पेश की गयी है, जो अंदर मयाद पेश की गई है।

- प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। रेस्पोडेंट तहसीलदार गोगुंदा, जिला उदयपुर द्वारा वर्तमान अपीलांट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 10/2019 (प्रार्थना पत्र आंवटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 29.01.2021 से रेस्पोडेंट तहसीलदार, गोगुंदा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में तहसीलदार, गोगुन्दा के पत्रांक 350 दिनांक 16.06.2022 से मौके की वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अवगत कराया कि ग्राम काछबा की जमाबंदी संवत् 2077–80 खाता संख्या 509 पर वर्णित खसरा संख्या 1868 रकबा 0.0200 हैक्टेयर किस्म बा. प्र. भूमि नाति पत्नि भंवरसिंह हिस्सा 1/3, भंवरसिंह पुत्र शेरसिंह हिस्सा 1/3 एवं लक्ष्मणसिंह पुत्र नवलसिंह हिस्सा 1/3 जाति खरवड़ सा. देह गैर खातेदार के नाम दर्ज है। मौका स्थिति अनुसार आराजी नम्बर 1668 रकबा 0.0200 हैक्टेयर के अधिकांश भाग में टीन–शेड की छत वाला पशुघर बना हुआ है। तथा पक्के कमरे व पशुघर के मध्य एक गली है। जो आराजी नम्बर 1868 में आती है। मौका अनुसार उक्त आराजी नम्बर में किसी प्रकार की खेती नही हो रही है।

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं

भू–अभिलेख द्वारा जांच रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर मौजा काछबा, तहसील गोगुंदा की आराजी संख्या 1868 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, किस्म बारानी प्रथम का आवंटन अपीलांट्स को किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, विधायक, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य के हस्ताक्षर हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद है। आवंटन के पश्चात विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट पर पाया गया है। इस प्रकार आवंटन में किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रथम दृष्टया नही पाया जाता है, किन्तु आवंटन के पश्चात् खसरा गिरदावरी रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गैर खातेदार (आवंटी) द्वारा कब्जा काश्त किया जाना प्रकट नही होता है अर्थात अपीलांट्स द्वारा आवंटन के पश्चात् आवंटन शर्तो की पालना नही की गयी है, जिसके फलस्वरूप उक्त आराजी पर आवंटीगण का नाम आज भी गैर खातेदारी हक से दर्ज होना खसरा गिरदावरी एवं नकल जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है।

- उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाता है।

- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 तहसीलदार, गोगुन्दा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को आवंटित कथित आराजी पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, द्वारा किये गये आवंटन पर आंवटन शर्तो की पालना नही किये जाने के अभाव में आवंटन खारिज किये जाने बाबत आदेश दिनांक 29.01.2021 में किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील

अपीलांट सारहिन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 29.01.2021 को यथावत रखा जाता है।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर